

कार्यालयः— मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढवाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या / सेवा०आराज०/३क(२)/ १७ / पदो०/२०१५-१६ दिनांक ०८ अप्रैल २०१५
विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-२०१४ के भाग-५ भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-१८(१) में निहित प्राधिकारियों के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक ग्राम्यक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राधिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदेश विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रम ९३००-३४८००, घोड़ वेतन ४६००) में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्तरम्-०८ में अकिञ्चन विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुप्युक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से १५ दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यान्वयन करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सामान्य शास्त्र

विषय— कला

क्र.सं	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र की सेवाओं का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्रीमती रामेश रावत स०३०	रा०प०मा०वि० घुडवीडी	पौड़ी	पौड़ी	२७/०२/१९९७	४.७९९	रा०३०मा०वि० अगरोड़ा	कल्पीखाल	पौड़ी

28/03/2015
(रामेश रावत)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा०शि०)

गढवाल मण्डल, पौड़ी

प०८०/ सेवा०आराज०/३क(२)/ २४८-६८ / २०१५-१६ दिनांक उक्तावत

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनात्र एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1— सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5— निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6— अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढवाल मण्डल, पौड़ी।
- 7— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 8— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- 9— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी वैसिक की इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
- 10— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 11— वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 12— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 13— सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का नियमानुसार भली-भली परीक्षण/सत्यापन कर ले, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही ग्रामाकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण कराये न करवाया जाय।
- (क)— अध्यापक स्नातक उपायि प्राप्त हो।

(ख)– प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वेतनमान (9300–34800, घेड वेतन-4600) में कार्यरत हो।

(ग)– शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ)– पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की विधि में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण—पत्र अथवा एन०री०टो०इ० से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की विधि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अन्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14– सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की विधि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जाएगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न रामरत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करें।

15– कार्यालय आदेश पंजिका।

2 जून
(रामकृष्ण उनिवाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (माइशिं)
गढ़वाल भूषण, पौड़ी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढवाल मण्डल पौडी
आदेश संख्या / संवादाराजा०/३क(२)/ १९ / पदो०/ २०१५-१६ दिनाक ०८ अप्रैल २०१५

सामान्य शाखा

क्र.सं.	अध्यापक का नाम / पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र की सेवाओं का गुणाकार	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री गणपति निह. स.0310	नांगपाट्टुप्राधिकी बुक्केदार	अगरस्थयुनि	राजपथ्याग	08/10/1993	12.745	राठड़कला० पोखराल	निलगिरी	टिहरी
2	श्री पूरन चन्द्र स.0310	राठड़माठ्ठिय० मेलाहार	रिखर्णीखाल	पीढी	13/10/1993	20.784	राठड़कला० अल्दा	जाम्हरीखाल	पीढी
3	श्री राजनंद सिंह स.0310	राठड़माठ्ठकल० नीमाप (कर्नल)	भट्टाढी	उत्तरकाशी	06/02/1995	23.611	राठड़कला० जारीखाला०	भट्टाढी	उत्तरकाशी

प०स० / सेवा०उत्तराज० / ३क०(२) / २९०-३१० / २०१५-१६ दिनांक उक्ताब्द

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यपाली हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 5- निदेशक, अकादमिक, सोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 6- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढवाल मण्डल, पौडी।
 - 7- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
 - 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
 - 9- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी वैसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश दिमाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
 - 10- सम्बन्धित वरिष्ठ कौपाधिकारी।
 - 11- वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
 - 12- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
 - 13- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानामार्थ/प्रधानामार्थी को इस आशय के राथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली—भाति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पर्याँ पर कार्यभार ग्रहण करायिए न करवाया जाय।

- (के)– अध्यापक रनातक उपाधि प्राप्त हो।
- (ख)– प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वैतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्वार्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वैतनमान (9300–34800, ग्रेड वैतन–4600) में कार्यरत हों।
- (ग)– शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संघीजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
- (घ)– पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित रनातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण–पत्र अथवा एनएसीटीडी० से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात की तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वैतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि की ५५ वर्ष अथवा अधिक आयु के अध्यक्षों के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 14– सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्भत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नति विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ सलग्न समरस शिक्षाणिक व प्रशिक्षाणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 15– कार्यालय आदेश पंजिका।

28/06/15
(रामकृष्ण डानियाल)
मण्डलीय अपर. निदेशक (माझी)
मण्डल निदेशक, बीड़ी
ग्र.

**कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी
आदेश संख्या/सेवा०अराज०/३क(२)/ २१ /पदो०/२०१५-१६ दिनांक ०८ अप्रैल २०१५**

विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-२०१४ के भाग-५ नर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-१६(१) में निहित प्राविधिकानों के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रन ९३००-३४८००, ग्रेड वेतन ४६००) में उनके दिक्कत्य के आधार पर सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं के अन्तर्गत पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुप्रयुक्तता को अत्यधिकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्ता पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से १५ दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तीनांती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी।

महिला शाखा

विषय- अंग्रेजी

क्र० सं०	अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रधान निषुक्ति तिथि	₹ क्रेत्र की सेवाओं का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्रीमती देवेशसी विट्ट प्र०अ०	राजप्र०विट्ट पराणियाणा	दशोली	चमोली	२३/०७/१९९२	४.३६२	राजप्र०विट्ट पाट	पाट	चमोली
2	श्रीमती मुनी रावत प्र०अ०	राजप्र०विट्ट माठा	कर्णप्रद्याग	चमोली	२४/०७/१९९२	१९.००७	राजप्र०काठ पराणियाणा	कर्णप्रद्याग	चमोली
3	श्रीमती विमल परस्वाण प्र०अ०	राजप्र०विट्ट वाजबगड़	घाट	चमोली	०१/०९/१९९३	२२.८४५	राजप्र०काठ गोपेश्वर	दशोली	चमोली

(रामकृष्ण नियमाला)

मण्डलीय अपर निदेशक (ना०ग०)

गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

प०स०/सेवा०अराज०/३क(२)/ ३३२-५२ /२०१५-१६ दिनांक उक्तावत्

प्रतीक्षित निम्नांकित को सूचनार्थे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी वेसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विनाग की वेवसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत करना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके रोपा सम्बन्धी अभिलेखों का नियमानुसार भली-भाति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिप्ट पद पर कार्यभार ग्रहण कदापि न करवाया जाय।

(क)– अध्यापक रनातक उपाधि प्राप्त हो।

(ख)– प्रधम नियुक्ति (प्रशिक्षित वैतनमान) ते उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गडवाल मण्डलान्तरगत न्यूनतम 08 तर्फ की सेवा पूर्ण कर ली ही तथा वर्तमान में वैतनमान (9300-34800, घेंड वैतन-4600) में कार्यरत हों।

(ग)– शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विवर संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ)– पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित रनातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संरक्षा के माध्यम से निर्धारित प्रमाण-पत्र अथवा एन0सी0टी0इ0 से मान्यता प्राप्त सरकार/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र उपाधि या डिप्लोमा नहीं किया जाता है तो अगली वैतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अध्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14– सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि व आदान निर्भत हान की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तीनांती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाधार्य/प्रधानाधार्यों के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समरत शक्तिगत व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15– कार्यालय आदेश पंजिका।

L. A. S. / 8/10/15
(रामकृष्ण उन्नयाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (माठरिंग)
गडवाल मण्डल, पीडी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढवाल मण्डल पौडी
आदेश संख्या/सेवा०असाज०/३क(२)/ २० विज्ञप्ति/पदोन्नति

/ पदो०/ २०१५-१६ दिनांक ०८ अप्रैल २०१५

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) संवा नियमावली-२०१४ के भाग-५ नवीं प्रक्रिया के प्रसार-१८(१) में निहित प्राक्षिधानों के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नाकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रम ९३००-३४८०, घेंड वेतन ४६००) में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख रसायन-०८ में अकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भीती अनुप्रयुक्तता को अस्तीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्मत की तिथि से १५ दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

विधय- अंग्रेजी

सामान्य शास्त्र

क्र.सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र की सेवाओं का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	श्री सुमन सिंह कण्ठारी प्र०अ०	सी.आर.सी.वीडीएली	कीर्तिनगर	टिहरी	२५/१०/१९८९	२४.७५८	रा०इ०का० सोलाघार	कीर्तिनगर	टिहरी
२	श्रीमती सुनीता पुरोहित, स०अ०	रा०क०उ०प्रा०वि० कुण्ड	अगरत्यमुनि	रुद्रप्रयाग	०१/११/१९८९	७.७६२	रा०इ०का० वसुकीदार	अगरसंभूति	रुद्रप्रयाग
३	सुनील कुमार, स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० कीर्तुल	द्वारोखाल	पौडी	१७/०१/१९९१	२६.२६४	रा०इ०का० जयदेवपुर	दुर्गबद्धा	पौडी
४	श्रीमती बन्दना विज्ञल्याण स०अ०	रा०क०उ०प्रा०वि० पियली	दुण्डा	उत्तरकाशी	२७/०२/१९९२	११.१५८	रा०इ०का० मुजारगाव	दुण्डा	उत्तरकाशी
५	कुमुद मलासी, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० चौरखाल	पावी	पौडी	१०/०४/१९९२	१.४४४	रा०उ०मा०वि० उरमी	पौडी	पौडी
६	श्रीमती लही नंगी प्र०अ०	रा०प्रा०वि० महलचौरी	गैरसैण	झमाली	०१/०८/१९९२	२.०११	रा०उ०मा०वि० मेखोली	गैरसैण	झमोली
७	श्रीमती राशि थपलियाल स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० जखेड डामर	कीर्तिनगर	टिहरी	०३/०८/१९९२	१९.९४९	रा०उ०मा०वि० खन्तुखाल	कोट	पौडी
८	श्रीमती विमला राणा प्र०अ०	संकुल सम० कोण्डा	जखेडी	रुद्रप्रयाग	१५/०९/१९९२	१७.२९९	रा०उ०मा०वि० डामी	जखाली	रुद्रप्रयाग
९	श्री बघन सिंह गुराई प्र०अ०	रा०प्रा०वि० कामर	नटवाडी	उत्तरकाशी	०९/०२/१९९३	१९.८०३	रा०इ०का० फोल्ड	दुण्डा	उत्तरकाशी
१०	श्री तेजराम मगाइ समन्वयक	सी०आर०ती० चौकी	कीर्तिनगर	टिहरी	१५/०२/१९९३	२४.९३२	रा०इ०का० श्रीनगर	खिसू	पौडी
११	बन्दना कठियाल स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० उप्प सौड	धौलधार	टिहरी	१८/०२/१९९३	१.४६३	रा०इ०का० कामलपाली	धौलधार	टिहरी
१२	राजेश्वरी विल्याण प्र०अ०	रा०प्रा०वि० महेडा	धौलधार	टिहरी	१८/०२/१९९३	१४.१४८	रा०इ०का० डानगढ़ार	चम्बा	टिहरी
१३	मनोजा जाईरी, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० छानो	पावी	पौडी	२३/०२/१९९३	०.८०३	रा०इ०का० साकरसैण	पावी	पौडी
१४	शिप्र प्रसाद खन्ताखाल स०अ०	ब०आर०सी० कल्पीखाल	पौडी	२५/०२/१९९३	१५.८२५	रा०इ०का० हरियापासा	सहस्रपुर	देहरादून	
१५	आशा घिस्तियाल, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० लोणखाल	कोट	पौडी	१०/०१/१९९३	३१.२९९	रा०उ०मा०वि० बडकोट	झाईयाला	देहरादून
१६	श्री राजनंद प्रसाद डोमाल प्र०अ०	रा०प्रा०वि० रोमली सिरोला	कीर्तिनगर	टिहरी	१७/१०/१९९३	२६.२०१	रा०उ०मा०वि० लहमाली	देहरादून	टिहरी

17	श्री बलबीर सिंह राणा स030	राठूऽहाठस्कूल भगलौ	भटयाडी	उत्तरकाशी	28/02/1995	28.244	राठूऽकाठ कदा एटहाली	तुपडा	उत्तरकाशी
18	श्री प्रह्लाद विन्ध्यली स030	राठूऽप्राठिं भटवाडी घनारी	तुपडा	उत्तरकाशी	28/02/1995	11.466	राठूऽमाठिं भवगढा	तुपडा	उत्तरकाशी
19	श्री कमलेश्वर प्रसाद मिश्रा स030	राठूऽप्राठिं भगलौ	भटयाडी	उत्तरकाशी	28/02/1995	31.262	राठूऽकाठ तुपडा	तुपडा	उत्तरकाशी
20	प्रताप सिंह रावत स030	राठूऽप्राठिं गड खाटल	नीगाव	उत्तरकाशी	28/02/1995	14.033	राठूऽकाठ बर्नीगाड	नीगाव	उत्तरकाशी
21	ममता ढोभाल स030	राठूऽप्राठिं रेन्हूल	जीनपुर	टिहरी	01/03/1995	19.992	राठूऽमाठिं भटलौ	जीनपुर	टिहरी
22	दयाल सिंह नेमी स030	राठूऽप्राठिं देवजानी	भोरी	उत्तरकाशी	03/03/1995	32.364	राठूऽकाठ मुरिटकसोड	भटयाडी	उत्तरकाशी
23	श्री मोहन लाल स030	राठूऽप्राठिं कवागडी	विन्यालीसोड	उत्तरकाशी	03/03/1995	29.992	राठूऽकाठ खदरी	डोईवाला देहरादून	खडकमाल
24	श्री आनन्द शरण जोरी स030	राठूऽहाठस्कूल विलग	भटयाडी	उत्तरकाशी	04/03/1995	27.951	राठूऽकाठ भटयाडी	भटयाडी	उत्तरकाशी
25	श्री रमेश प्रसाद स030	राठूऽप्राठिं तिहर	भटयाडी	उत्तरकाशी	06/03/1995	37.496	राठूऽकाठ मनरी	भटयाडी	उत्तरकाशी
26	सुनील सिंह स030	राठूऽप्राठिं खुन्हासगी	भोरी	उत्तरकाशी	06/03/1995	32.156	राठूऽकाठ उत्तरकाशी	भटयाडी	उत्तरकाशी
27	श्री सुरेन्द्र सिंह स030	राठूऽप्राठिं सरतली	जीनपुर	टिहरी	06/03/1995	24.312	राठूऽकाठ दुधापार	नरेन्द्रनगर	टिहरी
28	श्री बाणी विलास स030	राठूऽप्राठिं बन्होट	विन्यालीसोड	उत्तरकाशी	07/03/1995	17.518	राठूऽकाठ गंधला	तुपडा	उत्तरकाशी
29	मुत्तेर सिंह कोट्याल स030	राठूऽप्राठिं जालतल्ला	जालीमठ	सुदप्रयाग	08/03/1995	23.422	राठूऽकाठ खुमरा	उत्तरकाशी	सुदप्रयाग
30	हारेर सिंह घरवर स030	राठूऽप्राठिं रायगडी	जालीमठ	चमाली	14/03/1995	28.538	राठूऽकाठ जालीमठ	जालीमठ	चमाली
31	श्री राजे सिंह विष्ट स030	सोऽआरुसी० फरकन्डे	गैरसोण	चमाली	20/03/1995	15.853	राठूऽमाठिं पञ्जियाणाखाल	गैरसोण	चमाली
32	श्री दरबान सिंह रावत स030	राठूऽप्राठिं गाडी	दशोली	चमाली	24/03/1995	6.979	राठूऽकाठ घाट	घाट	चमाली
33	मदन सिंह बज्याल स030	राठूऽप्राठिं दोष्डा	जस्ताली	लुदप्रयाग	24/03/1995	29.897	राठूऽमाठिं देवर	उत्तरकाशी	लुदप्रयाग
34	सुनील कपोट्याल स030	रा.प्रा.पि० रिगल्टा मल्ला	नेतोडाडा	चोडी	16/03/1992	4.177	राठूऽमाठिं नमदाखाल कलीखाल	चोडी	

28

Hum
(रामकृष्ण उनियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (माझी)
गढवाल मण्डल, पीडी

प०स० / सेवा०आजा०/३क(२) / ३१-३१ / २०१५-१६ दिनांक उक्तवत्
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रवित्त:-

- 1- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढवाल मण्डल, पीडी।

- 7— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 8— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- 9— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी वैसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की बेवसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
- 10— सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 11— वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 12— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 13— सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली—भाति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण बाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण कदाचित् न करवाया जाय।
- (क)— अध्यापक रानातक उपाधि प्राप्त हो।
- (ख)— प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्मत्त न्यूनतम् 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान (9300—34800, घेंड वेतन—4800) में कार्यरत हो।
- (ग)— शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
- (घ)— पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित रानातक न होने की विधि में साज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण—पत्र अथवा एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता हो तो अगली वेतनवृद्धि लगी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लें। किन्तु पदोन्नति की विधि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अव्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 14— सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की विधि से 15 दिन के भीतर अपनी हैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अधिकारी के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता हो तो उनकी पदोन्नति रक्तः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त रीक्षणिक या प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छापाप्रति सहित) प्रस्तुत करें।
- 15— कार्यालय आदेश पंजिका।

[Signature]
 (रामकृष्ण चौधरी)
 मण्डलीय अपर निदेशक (मार्गिन)
[Signature]
 गढ़वाल नियंत्रण पाली
[Signature]

**कार्यालयः— मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढवाल मण्डल पौडी
आदेश संख्या/सेवा०अराज०/३क(२)/ २६ /पदो०/ २०१५-१६ दिनांक ०८ अप्रैल २०१५**

विज्ञाप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-२०१४ के भाग-५ मर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-१६(१) में निहित प्राचिन्धानों के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वैतनक्रम में कार्यरत निम्नाकित राजाध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वैतनक्रम ९३००-३४८०० घेड वैलन ४६००) में उनको विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक राजाध्यापक में उनको नाम के सम्बुध स्तम्भ-०८ में अकिल विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्तरावों को अस्वीकार करते हुए जपेचता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से १५ दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप हैनाली विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्योचता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

महिला शाखा

विषय— हिन्दी

क्र.सं	अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रधम नियुक्ति तिथि	Y हेत्र की संवादों का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्रीमती ममला जोशी स०३० (विद्याली)	रा०क००३०प्रायि० ज्ञानसू नौरीन	भट्टवाडी	उत्तरकाशी	०५/१२/१९८७	०	रा०क००३०मा०यि० ज्ञानसू	भट्टवाडी	उत्तरकाशी
2	श्रीमती रेखा नीटीयाल (प०३०)	रा०प्रायि० आगर	मिलगना	टिहरी	०१/१२/१९८८	३५.०९६	रा०क००३०क०० उत्तरकाशी	डोट्टीबाला	देहरादून
3	मनोरमा जडवी स०३०	रा०क००३०मा०यि० शोलाखलखाल	जयहरीआल	पौडी	१६/०१/१९८९	२३.६४२	रा०क००३०मा०यि० लालपुर	दुगद्दा	पौडी
4	श्रीमती नीमा दवरी प०३०	रा०प्रायि० भगोती	नारायणबगड	चमोली	०७/०२/१९८९	३२.७९५	रा०क००३०क०० बहमुरी	रायपुर	देहरादून
5	श्रीमती काशिता भट्टाचारी स०३०	रा०क००३०ल० स्कूल बमुगा	भट्टवाडी	उत्तरकाशी	२४/१०/१९८९	२.६७९	रा०क००३०मा०यि० गवला	तुण्डा	उत्तरकाशी
6	श्रीमती प्रणीता नेगी प०३०	रा०प्रायि० जबरकोट	नारायणबगड	चमोली	२७/१०/१९८९	१८.०७९	रा०क००३०क०० नारायणबगड	चमोली	

28/03/2015
(रामकृष्ण उत्तराखण्ड)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा०यि०)
गढवाल मण्डल, पौडी

प००३०/सेवा०अराज०/३क(२)/ ४३६-५६ /२०१५-१६ दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यपादी हेतु प्रेषित—

- 1— राचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5— निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6— अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढवाल मण्डल, पौडी।
- 7— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- 8— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी बैसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।

- 10— सम्बन्धित वरिष्ठ कौयाधिकारी।
- 11— वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 12— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 13— सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर ले, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण करापि न करवाया जाय।
- (क)— अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
- (ख)— प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वेतनमान में वेतनमान (9300—34800, घेंड वेतन—4600) में कार्यरत हो।
- (ग)— शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
- (घ)— पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण—पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अन्धर्यों के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 14— सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करें।
- 15— कार्यालय आदेश परिका।

2 May 2015
 (रामकृष्ण उनियाल)
 मण्डलीय अपर निदेशक (मा0श10)

गढ़वाल मण्डल, पीडी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी
 आदेश संख्या / सेवा०अराज० / ३क(२) / **25** / पदो०/ २०१५-१६ दिनांक **०४** अप्रैल २०१५

निहित प्राविधिकों के तहत राजकीय प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रम ९३००-३४८००, ग्रेड वेतन ४६००) में उनके विकल्प के आधार पर अध्यापक/अध्यापिकाओं को अधिकृत घोषित करना भर्ती अनुप्रयुक्तता को सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के समुख स्तम्भ-०८ में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुप्रयुक्तता को अस्तीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के कालरवरुप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को अस्तीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के कालरवरुप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को अस्तीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के कालरवरुप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को अस्तीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है।

विषय- हिन्दी

सामान्य शास्त्र

क्र.सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/वदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y बीत्र की सेवाओं का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री सुरेन्द्र प्रसाद स०३०	राज्यविद्यालय सालग	भटवाडी	उत्तरकाशी	१०/११/१९८१	४६.२१२	राज्यविद्यालय स०३०	तुण्डा	उत्तरकाशी
2	श्री दीर्घन्द प्रसाद दिग्याल ३०३०	राज्यविद्यालय सालग	मिलगाना	टिहरी	१५/१२/१९८३	२९.३६४	राज्यविद्यालय स०३०	देहरादून चौहानी	देहरादून
3	श्रीमती सुनीता भण्डारी ३०३०	राज्यविद्यालय चिंवा	भटवाडी	उत्तरकाशी	१५/१०/१९८४	७.७८४	राज्यविद्यालय स०३०	भटवाडी	उत्तरकाशी
4	श्री भारकर प्रसाद मन्दोला स०३०	सौंआठसौंदी छारी	रिखणीखाल	पौड़ी	०२/१०/१९८५	२८.९२७	राज्यविद्यालय रुदपुर	विकासनगर	देहरादून
5	श्रीमती आशा रावत ३०३०	राज्यविद्यालय नेल	चम्बा	टिहरी	१६/१०/१९८६	१२.५९२	राज्यविद्यालय नेल	चम्बा	टिहरी
6	श्री कमल किंशीर स०३०	राज्यविद्यालय मठाली जयधरीखाल	पौड़ी	१५/१२/१९८६	२८.२२२	राज्यविद्यालय कण्डाली	तुण्डा	पौड़ी	उत्तरकाशी
7	श्रीमती इन्द्रा विमला विष्ट ३०३०	राज्यविद्यालय डियु	देवप्रयाग	टिहरी	२९/०८/१९८७	१३.६०५	राज्यविद्यालय सिवालीधार	देवप्रयाग	टिहरी
8	श्रीमती सर्विधा वैरवाणी ३०३०	राज्यविद्यालय बसुगा	भटवाडी	उत्तरकाशी	२९/०९/१९८७	९.११८	राज्यविद्यालय होसावाला	विकासनगर	देहरादून
9	श्रीमती इन्द्रा रमोला ३०३०	राज्यविद्यालय बसुगा	भटवाडी	उत्तरकाशी	२९/०९/१९८७	०.६३६	राज्यविद्यालय भकड़ा	तुण्डा	उत्तरकाशी
10	श्री जगमान सिंह राणा ३०३०	राज्यविद्यालय मल्ला	भटवाडी	उत्तरकाशी	२९/०९/१९८७	३४.०४८	राज्यविद्यालय उत्तरी	भटवाडी	उत्तरकाशी
11	श्रीमती शशिका डग्याल स०३०	राज्यविद्यालय रेजू	भटवाडी	उत्तरकाशी	२९/०९/१९८७	२०.७२५	राज्यविद्यालय भगीरी	भटवाडी	उत्तरकाशी
12	श्रीमती पावती डामाल ३०३०	राज्यविद्यालय भमारीखाल	धोलधार	टिहरी	०५/१०/१९८७	३२.७५१	राज्यविद्यालय धोलधार	चम्बा	टिहरी
13	श्रीमती आशालता चौहान ३०३०	राज्यविद्यालय चपालखेत	चम्बा	टिहरी	२९/१०/१९८७	०	राज्यविद्यालय काफलपानी	धोलधार	टिहरी
14	श्रीमती सुलोचना असपाल (३०३०)	राज्यविद्यालय भण्डारी	धोलधार	टिहरी	३०/१०/१९८७	२.९६७	राज्यविद्यालय धोन	धोलधार	टिहरी
15	श्री भूष्ण मिहिर सिंह चौहान (३०३०)	राज्यविद्यालय डियारी	धोलधार	टिहरी	३०/१०/१९८७	१८.९८६	राज्यविद्यालय दुयापार	नरेन्द्रनगर	टिहरी
16	श्री गोपाल सिंह राणा ३०३०	राज्यविद्यालय विष्टमुनि	स्लदप्रयाग	टिहरी	३०/१०/१९८७	१२.३०४	राज्यविद्यालय विष्टमुनि दानकोट	जखाली	स्लदप्रयाग
17	श्रीमती विमला मैथ्युज ३०३०	राज्यविद्यालय नाली	कल्जीखाल	पौड़ी	३०/११/१९८७	१८.०६३	राज्यविद्यालय कण्डारा	पौड़ी	पौड़ी
18	उमेला वेलाल ३०३०	राज्यविद्यालय घट्टगाड़	धमकेश्वर	पौड़ी	३०/११/१९८७	१७.३२९	राज्यविद्यालय मसूरी चम्बानन्द	सहस्रपुर	देहरादून
19	श्री बासदानन्द चस्मना ३०३०	राज्यविद्यालय भण्डेती	धर्मतेत्तु	पौड़ी	०१/१२/१९८७	२३.८१९	राज्यविद्यालय कंदावाला	विकासनगर	देहरादून

6 ८८२ २५

20	चिमला भारत्तराज प्र०३०	राठप्राठिं कोटी	चम्बा	टिहरी	15/09/1988	23.868	राठडूकाठ हरियावाला	सहसपुर	दहरादून
21	श्री चरत्तुरेशम सकलानी स०३०	सी०आठ०सी० मयाली	जखोली	सुदप्रयाग	01/12/1988	11.504	राठडूकाठ बुढ़ना लस्या	जखोली	सुदप्रयाग
22	श्री चतुर्थ रिह राणा प्र०३०	राठप्राठिं बच्चाड	जखोली	सुदप्रयाग	01/12/1988	36.149	राठ०मा०पि० खग्दूखाल	कोट	पीडी
23	श्री दिगंबर प्रसाद (प्र०३०)	राठप्राठिं कोटी फैगुल	भिलगना	टिहरी	01/12/1988	31.475	राठ०मा०पि० धालकालार	जाखणीधार	टिहरी
24	श्रीमती भवना बहुमता प्र०३०	राठप्राठिं धक्काली	खिसू	पीडी	13/12/1988	9.721	राठ०मा०पि० कछोबट	कोट	पीडी
25	श्रीमती इर्षणी रावत प्र०३०	राठप्राठिं सुनली	पुरोला	उत्तरकाशी	14/12/1988	6.315	राठ०काठ हुड़ोली	पुरोला	उत्तरकाशी
26	शोभा रावत स०३०	राठ०पू०मा०पि० ननकोट	पीडी	पीडी	11/01/1989	7.853	राठ०काठ कल्जीखाल	कल्जीखाल	पीडी
27	श्री मेहरदान सिंह राधान स०३०	राठ०प्राठिं शक्तिखाल	यमकेश्वर	पीडी	20/01/1989	18.37	राठ०मा०पि० सीला	यमकेश्वर	पीडी
28	श्रीमती विजया किमोटी स०३०	राठ०उ०प्राठिं दुग्धार	अगरत्तमुनि	सुदप्रयाग	08/02/1989	0	राठ०पू०मा०पि० खडपतिया	अगरत्तमुनि	सुदप्रयाग
29	आशालाली बहुमता स०३०	राठ०फू०मा०पि० चावधरखाल	कोट	पीडी	23/02/1989	0.471	राठ०काठ पुरियाडाम	कल्जीखाल	पीडी
30	श्री दयाल सिंह स०३०	राठ०प्राठिं झोली	अगरत्तमुनि	सुदप्रयाग	21/10/1989	6.597	राठ०काठ नणिपुर	अगरत्तमुनि	सुदप्रयाग
31	श्री भगत राम विजयलाल (स०३०)	राठ०प्राठिं केमरियासोड	भिलगना	टिहरी	21/10/1989	27.449	राठ०मा०पि० साजीपाम	नरेन्द्रनगर	टिहरी
32	श्री निरिजा शक्तर भट्ट (स०३०)	राठ०प्राठिं तलेवन	भिलगना	टिहरी	23/10/1989	21.448	राठ०प्राठिं तलेवन	भिलगना	टिहरी
33	श्रीमती दुलारी घिलियाल प्र०३०	राठप्राठिं बग्सारे	दुष्टा	उत्तरकाशी	23/10/1989	5.273	राठ०काठ मढ़वरसाली	दुष्टा	उत्तरकाशी
34	श्रीमती सुनीता सकलानी प्र०३०	राठप्राठिं भटकमडा	जाखणीधार	टिहरी	24/10/1989	0	राठ०मा०पि० चोपा	नरेन्द्रनगर	टिहरी
35	श्रीमती विजयलक्ष्मी घिलियाल प्र०३०	राठप्राठिं फैगुल	चम्बा	टिहरी	24/10/1989	25.308	राठ०काठ थानी	रायपुर	दहरादून
36	श्रीमती विमला राणा स०३०	राठ०उ०प्राठिं मुख्या	भटवाली	उत्तरकाशी	24/10/1989	15.538	राठ०काठ मनेही	मनेही	उत्तरकाशी
37	श्रीमती घशेदा झानाल (स०३०)	राठ०प्राठिं आपडा (नगरण)	धोलधार	टिहरी	25/10/1989	0	राठ०मा०पि० आवरखाल	नरेन्द्रनगर	टिहरी
38	श्री जयहरि प्रसाद (स०३०)	राठ०प्राठिं देखलेश्वर	भिलगना	टिहरी	26/10/1989	32.599	राठ०मा०पि० कुमाला	जीनपुर	टिहरी
39	श्रीमती सुरुचि गैरोला प्र०३०	राठप्राठिं सल्वा	ऊर्खीमठ	सुदप्रयाग	26/10/1989	2.153	राठ०काठ नागजगह	अगरत्तमुनि	सुदप्रयाग
40	श्रीमती मन्तु सामधाल प्र०३०	राठप्राठिं कुछड	अगरत्तमुनि	सुदप्रयाग	26/10/1989	7.132	राठ०काठ बसुकीदार	अगरत्तमुनि	सुदप्रयाग
41	श्रीमती सरोजनी कला प्र०३०	राठप्राठिं सलियाणा	गैरसेण	चमोली	26/10/1989	10.841	राठ०काठ मेहलाहीरी	गैरसेण	चमोली
42	श्री गोपाल रिह गुहाइ स०३०	राठ०प्राठिं जलहू	धराली	चमोली	27/10/1989	24.564	राठ०काठ तलयाडी	धराली	चमोली
43	श्रीमती सरसा राणा, प्र०३०	राठप्राठिं जलहू	अगरत्तमुनि	सुदप्रयाग	27/10/1989	3.781	राठ०मा०पि० देवर	उर्खीमठ	सुदप्रयाग
44	श्रीमती शाकम्बरी कारस्याण प्र०३०	राठप्राठिं व्यारा	दशोली	चमोली	27/10/1989	13.921	राठ०काठ सावरीसेण	दशोली	प्रभोली

2/ छोटा/ १०/११/१४
(रामकृष्ण उमिलाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (माठियो)
ग्रामपाल लाल, पीडी

पु0सं0 / सेवा0आराज0 / ३क(2) / 415-35 / 2015-16 दिनांक उक्तवत

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संघिय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 6- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 7- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- 8- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी वैशिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
- 9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 10- वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 11- सम्बन्धित छण्ड शिक्षा अधिकारी/उपव्यवण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 12- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्ण उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भाति परीक्षण/सत्यापन कर ले, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण कराये न कराया जाय।
(क)- अध्यापक रनातक उपाधि प्राप्त हो।
(ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान (9300-34800, घेंड वेतन-4600) में कार्यरत हों।
(ग)- शासनावेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
(घ)- पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की विधिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण-पत्र अथवा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिलीमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिलीमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के लीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता हो तो अगली वैराग्यवृद्धि तभी देय होगी जहाँ कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिलीमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अन्यार्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिलीमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 13- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निदेश के साथ कि वे आदेश निर्भाव होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति रखते ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समरत शक्तिशाली व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करें।
- 14- कार्यालय आदेश पंजिका।
- 15- कार्यालय आदेश पंजिका।

2 Meem
(रामकृष्ण तानियाल)
नियमावली अपर निदेशक (मा०सी०)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी
आदेश संख्या / सेवा 0/आरा 0/ 3क(2)/ 23 / पदो 10/2015-16 दिनांक 08 अप्रैल 2015
विज्ञप्ति / प्रदान विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) संवा नियमावली-2014 के भाग-5 मर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-16(1) में निहित प्राधिकारी ने तहत राजकीय प्राधिकारिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यस्थ प्रशिक्षित अध्यापक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राधिकारिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यस्थ निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रम ९३००-३४८०० रुपए वेतन ५६००) में उनके दिक्कत्य के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्तरम्-०८ में अकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुबयुक्तता को अवैधीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति की कलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्भाव की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नति विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के कलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं जी आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

महिला शास्त्रा

क्र. सं.	अध्यापिका का नाम / पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रधम नियुक्ति तिथि	४ क्षेत्र की सेवाओं का मुख्यालय	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्रीमती. शान्ती अग्रवाल प्र०३० (विद्या)	शान्ती अग्रवाल न०१०१०१०००६	पाठी	पाठी	१२/११/१९८९	.०	२००५०००१००१० लकड़ीबाग	राधपुर	देहरादून

विषय-सामान्य

मण्डलीय अपर निदेशक (मा०श०)

गढ़वाल एवं पीढ़ी

Qm

पृष्ठा ०३ / सेवा ० अराजा ० / ३ क्र (२) / ३७३-९३ / २०१५-१६ दिनांक उक्तायत
संस्कृत विषयक विद्यार्थी के लिए विशेष अधिकारी के द्वारा दिया गया है।

- संवित् विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पीडी।
 - सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
 - सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
 - सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी वैसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश दिमाग की डेवलपमेंट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
 - सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
 - वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
 - सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपराष्ट्र शिक्षा अधिकारी।
 - सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्यी को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्ण उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार मली-माति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करे, साथ ही मात्राकरण याले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण करायि न करक्षाया जाय।
 - (क) - अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
 - (ख) - प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) को उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा दर्तमान में वेतनमान (9300-34800, घोड़ वेतन-4600) में कार्यरत हो।
 - (ग) - शासनादेश/नियन्त्रादली को अन्सार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपरबन्ध पूर्ण कराया हो।

- (घ)- पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्वाचित प्रमाण-पत्र अथवा एनएसीटी०८० से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के दीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेलनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को ५५ वर्ष अथवा अधिक आयु के अन्यथी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 14- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि तो जादेश निर्भत होने की तिथि से १५ दिन के भीतर अपनी तैनाती के रथान पर कार्यमार ग्रहण करना सुनिश्चित करे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यमार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति रखत ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यमार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्यी के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्राप्तित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 15- कार्यालय आदेश पंजिका।

L. Heum १५/१५
 (रामकृष्ण उनियल)
 मण्डलीय अपर निदेशक (माठिया)
g गवर्याल डेल, पोडी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या / सेवा०अराज० / ३क(२) / २४ / पदो० / २०१५-१६ दिनाक ०८ अप्रैल २०१५

पिण्डपत्र / पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-5 भर्ती प्र

© 2013 Pearson Education, Inc. All Rights Reserved.

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्राशासन
में विद्युत प्राधिकारों के बहुत सार्वजनिक प्रयोग)

न राज्यालयीक प्रादृश्यक संस्कृत विद्यालय के अध्यापकों का उपर्युक्त विद्यालय के अध्यापक विद्यालय, राज्यालय अध्यापक राज्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजाश्री आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नालिखी राज्यालय के अध्यापक /अध्यापिकाओं को प्रशिक्षणक्रम (वेतनक्रम 3900-34800, ग्रेड वेतन 4600) में उनके पिकलके आधार पर सहायक अध्यापक राजालक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख रूपमें 05 में अवित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुप्रयत्नता को अवैधीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक /अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक /अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सामान्य शास्त्रा

विषय— गणित

क्र.सं.	अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	५ क्षेत्र की सेवाओं का मुख्याक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री विशेष गोदियाल स०३०	राठउप्राधियो मठियाली	नरेन्द्रनगर	टिहरी	04/03/1995	23.288	राठउप्राधियो बड़ोर	नरेन्द्रनगर	टिहरी
2	जीतेंद्र प्रसाद उपरियाल स०३०	राठउप्राधियो डबराट	रिखपालाल	पौड़ी	16/12/1997	28.571	राठउप्राधियो हनुमन्नी	तुमड़ुआ	पौड़ी
3	श्रीमती रिया डामाल स०३०	राठउप्राधियो बाढ़ी	कालसी	दहरादून	19/05/1998	21.37	राठउप्राधियो डाढ़ापुर	विकासनगर	दहरादून
4	श्रीमती रेखा कण्ठेरी स०३०	राठउप्राधियो माझ बारो	झाट	चमोली	17/08/1998	12.271	राठउप्राधियो सरमाला	पोखरी	चमोली
5	श्री विश्वन्द चिह स०३०	राठउप्राधियो रसालना	नीगांव	उत्तरकाशी	01/08/2002	11.486	राठउप्राधियो स्यानाघटी	नीगांव	उत्तरकाशी
6	श्री आलाक शाह स०३०	राठउप्राधियो डुनक	जाईमठ	चमोली	06/04/2003	23.742	राठउप्राधियो वेनी	जाईमठ	चमोली
7	श्री संस्कृति आद स०३०	राठउप्राधियो कोठा	गैरसेण	चमोली	12/04/2003	13.175	राठउप्राधियो मेहतचारी	गैरसेण	चमोली
8	श्री अवलतर सिंह स०३०	राठउप्राधियो पिलग	मटजाली	उत्तरकाशी	27/04/2005	19.666	राठउप्राधियो मेहेश	मटजाली	उत्तरकाशी

~~2 Helium~~ 8/10/15
(रामकृष्ण उनियाल)

मण्डलीय अपर गिरेजापा, (माठगिर)

१०५ ग्रन्थालय कालीगंगा

John C. Green

पृष्ठा ३० / सेप्टेम्बर २०१५ / ३ क(२) / 394-414 / २०१५-१६ विनायक उत्तमवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १- संचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - २- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - ३- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - ४- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - ५- निदेशक, अकादमिक, सोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - ६- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
 - ७- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
 - ८- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।

- 9— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी वैरिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश यिनाम की वेपराइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
- 10— सम्बन्धित वरिष्ठ कौपाधिकारी।
- 11— वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 12— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपर्यण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 13— सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नति अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली—भाति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण करापि न करवाया जाय।
- (क)— अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
- (ख)— प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान (9300—34800, ग्रेड वेतन—4600) में कार्यरत हो।
- (ग)— शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संबोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
- (घ)— पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की विधिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण—पत्र अथवा एनोरी0टी0इ0 से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की विधि को 55 वर्ष अध्या अधिक आयु के अस्यवीं के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 14— सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि ये आदेश निर्गत होने की लिधि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति रवतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ स्लैन समरत शीक्षणिक व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (यो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 15— कार्यालय आदेश पंजिका।

L. Bhagat / 8/4/15
 (रामकृष्ण उनियाल)
 मण्डलीय अपर निदेशक (माठशि)
 गढ़वाल बाल पाठी
G.D.

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढवाल मण्डल पौड़ी
आदेश संख्या/सेवा०अराज०/३क(२)/ 18 /पदो०/ 2015-16 दिनांक ०८ अप्रैल 2015

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-५ भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-१६(१) में निहित प्राविधानों के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्रारम्भिक विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्रारम्भिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रम ९३००-३४८००, घोड़ वेतन ४६००) में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुच्च स्तरम्-०८ में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुप्रुक्तता की अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत वीं तिथि से १५ दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तीनांति विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा।

महिला शाखा

विषय- संगीत

क्र.सं	अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र की सेवाओं का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सुश्री शीरा गोड़ा, स०३०	ता काउ मा वि मटनल	पौड़ी	पौड़ी	२५/०२/१९९३	१९.४४८	रा०क०३०का० दुगदडा	दुगदडा	पौड़ी

2 Hem ८/५/१५
(रामकृष्ण उनियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक)
गढवाल मण्डल, पौड़ी

प०स०/सेवा०अराज०/३क(२)/ २६९-८९ /2015-16 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- २- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ३- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ४- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ५- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ६- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढवाल मण्डल, पौड़ी।
- ७- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- ८- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- ९- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी वेसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की बेवसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तांतर कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
- १०- सम्बन्धित विविध कोषाधिकारी।
- ११- वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- १२- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- १३- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिक/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का नियमानुसार भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण करायि न करवाया जाय।
- (क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
- (ख)- प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त ३० जून 2014 की तिथि तक गढवाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम ०८ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान (९३००-३४८००, घोड़ वेतन-४६००) में कार्यरत हो।
- (ग)- शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(द)– पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा मठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण-पत्र अथवा एन०सी०टी०इ० से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करने लेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अन्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14– सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की गूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करें।

15– कार्यालय आदेश पंजिका।

2/Jan/2015
(रामकृष्ण उमेशाल)

मण्डलीय अधर. निदेशक (माठीशी)
गढवाल मण्डल, पोखी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या/सेवा०अराज०/३क(२)/ २२ / पदो०/२०१५-१६ दिनांक ०८ अप्रैल २०१५

विज्ञापन/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-२०१४ के भाग-५ भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तर-१६(१) में निहित प्राविधिनों के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राधिमिक विद्यालय सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राविधिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदेश विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित रनातक श्रेणी (वेतनक्रम ३३००-३४८०० रुपये वेतन ४६००) में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख रसाम्भ-०८ में अकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपुक्तता को अस्तीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उत्त पदोन्नति के फलस्वलप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्भत की तिथि से १५ दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वलप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सामान्य शास्त्रा

विषय- सामान्य

क्र.सं.	अध्यापक/ अध्यापिका का नाम/ पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	विकास खण्ड	जनपद	विकास खण्ड	जनपद	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	श्री जगदीश प्रसाद वेन्नाली रस०३०	राज०उ०प्रा०वि�० कुमुकुली	दशाली	चमोली	०८/०९/१९८६	२१.७७	राज०का० विज्ञानपुर	दारापुर	दैहरादून
२	रनू छिलियाल स०३०	राज०ग०वि�० घामाली	जयहरीखाल	पौड़ी	२१/०९/१९८७	६.१७५	राज०उ०मा०वि�० कुचाखाल	जयहरीखाल	पौड़ी
३	श्री उमादत्त नोटियाल स०३०	राज०क०ह०र०क०ल स्थान	मटवाडी	उत्तरकाशी	२९/०९/१९८७	३५.४०८	राज०उ०मा०वि�० उत्तरी	मटवाडी	उत्तरकाशी
४	इमरती आर्य रस०३०	राज०क०उ०प्रा०वि�० बालगांव	कर्णप्रयाग	चमोली	३०/१०/१९८७	७.६२२	राज०क०त्त० आर्येकडी	गोरीगंगा	चमोली
५	श्री रामकृष्ण बड्डोनी (स०३०)	राज०उ०प्रा०वि�० कोटियाडी	मिलगमा	टिहरी	३०/११/१९८८	१६.२०८	राज०क०का० पठामली	मिलगमा	टिहरी
६	शोभा नायत रस०३०	राज०प०मा०वि�० नकोट	पौड़ी	पौड़ी	११/०१/१९८९	७.८५३	राज०क०त्त० उज्याडी	पौड़ी	पौड़ी
७	श्री जयन्ती प्रसाद रस०३०	राज०उ०प्रा०वि�० नकोरी	डौडियाला	दैहरादून	०३/०२/१९८९	३.७३६	राज०उ०मा०वि�० कनबुआ	कालसी	दैहरादून
८	श्री प्रमाद कुमार रस०३०	राज०क०ह०र०य०ल पठेगाँव	नरेन्द्रनगर	टिहरी	१६/०७/१९८९	२.९६४	राज०क०का० अकारियाखाल	जयहरीखाल	पौड़ी
९	श्रीमती तुरीया नर्मी प्र०३०	राज०प्रा०वि�० लाल	जैनपुर	टिहरी	२३/१०/१९८९	०.७८६	राज०क०त्त० पुजारीगाँव	पौगंपुर	टिहरी
१०	श्री जगर अली प्र०३०	राज०उ०प्रा०वि�० इन्द्राणी	मटवाडी	उत्तरकाशी	२४/१०/१९८९	२६.३०५	राज०क०त्त० नटवाडी	मटवाडी	उत्तरकाशी
११	श्री विजयानन्द सेमयाल स०३०	राज०उ०प्रा०वि�० गर्गोली	कर्णप्रयाग	चमोली	२७/१०/१९८९	३६.३४	राज०क०त्त० काटा	उर्ध्वोमट	लंदप्रयाग
१२	श्री भुवन बद्र पुराणित रस०३०	राज०उ०प्रा०वि�० काखड़ा	धराली	चमोली	०१/११/१९८९	१९.३५६	राज०उ०मा०वि�० मींग	नाशयालबगाल	चमोली
१३	श्री प्रमोद कुमार जमकाल स०३०	राज०उ०प्रा०वि�० जल्ली	झारेखाल	पौड़ी	२०/१२/१९८९	३७.७७३	राज०क०का० रामगाला	झारेखाल	दैहरादून
१४	सुनीता नर्मी रस०३०	राज०क०त्त०ह०र०मा० भग्नारगाँव	घमा	टिहरी	२१/०२/१९९०	०.१०४	राज०उ०मा०वि�० टिहरी	घमा	टिहरी
१५	श्री वद्दि सिंह राजत रस०३०	राज०उ०प्रा०वि�० राजत	मटवाडी	उत्तरकाशी	२०/११/१९९०	३२.२८६	राज०क०त्त० साल्ल	मटवाडी	उत्तरकाशी
१६	श्री जगदीश सिंह खरोला रस०३०	राज०उ०प्रा०वि�० नन्दगाँव	जाखणीधार	टिहरी	०३/१२/१९९०	४.५३२	राज०क०का० उम्पू	खोलधार	टिहरी
१७	श्रीमती शीना राजवाल प्र०३०	राज०उ०राज०वि�० नकोट	घमा	टिहरी	०४/१२/१९९०	२३.७७७	राज०क०का० खन्दकरी	घमा	टिहरी
१८	श्री ज्योति रिह राणा स०३०	राज०उ०क०ल लामरीधार	जाखणीधार	टिहरी	०५/१२/१९९०	१८.६०३	राज०उ०मा०वि�० बडीर	नरेन्द्रनगर	टिहरी

✓ ४२
24

19	श्रीमती कुमारलता कर्णेत ३०३० / समन्वय शोधकार्यालय	सोलापुरस्थि यागर	चम्बा	ठिहरी	06/12/1990	15.784	राठूमाठूविं युमाला	जीनपुर	ठिहरी
20	श्री जगन्न शंख शंख ३०३०	राठूमाठूविं देवीधार	कोत्तिनगर	ठिहरी	06/12/1990	22.808	राठूमाठूविं लक्मेली	देवदत्तयाग	ठिहरी
21	श्रीमती सुनीता गुप्ता ३०३०	सोलापुरस्थि वैशामणी	अमरस्वर्मन	सोलापुरग	28/12/1990	1.603	राठूमाठूविं टिमरा	कालस्ती	देहरादून
22	श्री अंनेल कुमार मेयाह ३०३०	राठूमाठूविं देवकाल	दशाली	चमोली	01/01/1991	28.564	राठूमाठूविं गोराली	कालप्रयाग	चमोली
23	कमला कुमार ३०३०	राठूमाठूविं शुभ लक्ष्मी	घाट	चमोली	01/01/1991	12.926	राठूमाठूविं बालबगड़	घाट	चमोली
24	श्री राजेन्द्र राम आर्य ३०३०	राठूमाठूविं तलपाली खालसा	धराली	चमोली	02/01/1991	16.46	राठूमाठूविं कुराड़	धराली	चमोली
25	श्री विश्वन तिह विष्ट ३०३०	राठूमाठूविं पाती	अमरस्वर्मन	सोलापुरग	05/01/1991	31.859	राठूमाठूविं बढ़काट	झाइकाला	देहरादून
26	श्री जयदीर तिह शंख ३०३०	राठूमाठूविं तुगरी	अमरस्वर्मन	सोलापुरग	07/01/1991	6.797	राठूमाठूविं टेक	हरीमठ	लड्हप्रयाग
27	श्री चुनीत कुमार ३०३०	राठूमाठूविं कैष्टुल	झारीखाल	पौड़ी	17/01/1991	26.264	राठूमाठूविं चैलूरी	झारीखाल	पौड़ी
28	श्रीमती हीलन्दी भट्ट ३०३०	राठूमाठूविं चैजियाल	झुङ्डा	उत्तरकाशी	10/03/1992	10.651	राठूमाठूविं भर्वडा	झुङ्डा	उत्तरकाशी
29	श्रीमती डामेल विष्ट (संज्ञा)	राठूमाठूविं नेटी घासहार	गिलगता	ठिहरी	10/03/1992	21.064	राठूमाठूविं बगारुआर	चम्बा	ठिहरी
30	श्रीमती जनु सरी प्रसाद ३०३०	राठूमाठूविं जीटी	कालप्रयाग	चमोली	22/07/1992	10.51	राठूमाठूविं राठूमाठूविं	जीनपुर	ठिहरी

24/01/2015
 (रामकृष्ण उनियाल)
 मण्डलीय अधिकारी निदेशक (माठिंगी)
 गढ़पाल अमृदल, पौड़ी

पृ० १० / सेपाठराजा० / ३क(२) / ३५३-७२ / २०१५-१६ दिनांक उक्तव्यत्

प्रतिलिपि निम्नान्वित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- १- साधिय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- २- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ३- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ४- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ५- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ६- अपनिदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- ७- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- ८- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- ९- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- १०- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- ११- खण्ड अधिकारी विद्यालयी उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- १२- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- १३- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाध्यार्थी/प्रधानाध्यार्थी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः अप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यमार्ग सुरक्षा/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
- १४- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- १५- वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- १६- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- १७- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाध्यार्थी/प्रधानाध्यार्थी को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यमार्ग ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अग्रिमता का निम्नानुसार भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यमार्ग सुरक्षा/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण याले रिक्त पदों पर कार्यमार्ग ग्रहण कराये न करवाया जाय।
- (क)- अध्यापक रनातक उपाधि प्राप्त हो।

(ख)– प्रधम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान (9300–34800, घड वेतन–4600) में कार्रवत हो।

(ग)– शासनादेश /नियमावली के अनुसार नियारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।

(घ)– पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से नियारित प्रमाण–पत्र अथवा एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करता होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र उपाधि या डिप्लोमा नहीं किया जाता है तो अपली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब तिं ऐसा प्रमाण पत्र उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को 55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अध्यर्थी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14– सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी टैनाती को स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना तुनिश्चयत करें। यदि नियारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्यी को सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त रीक्षणिक व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करें।

15– कार्यालय आदेश परिकार।

J. Heum *शुभम्/५*
(रामकृष्ण जननवाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (माझिं)
गढ़वाल मण्डल, पीडी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी

आदेश संख्या / सेवा०अराज०/३क(२)/ 16 / पदो०/ 2015-16 दिनांक ०८ अप्रैल 2015

विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-५ भर्ती प्रक्रिया के प्रस्तार-16(१) में निहित प्राचिकिताओं के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राचिकित विद्यालय, सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राचिकित विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वैतनक्रम में कार्यरत निम्नाकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वैतनक्रम ९३००-३४८०० ग्रेड वैतन ४६००) में उनके विकल्प के अधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वैतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-०८ में अकिता विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुप्रयुक्तता पर कार्यभार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं का आदेश निर्गत की तिथि से १५ दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नति विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप दैनांती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी।

विषय- संरक्षण

सामान्य शाखा

क्र.सं.	अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y सेत्र भी सेवाओं का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री विश्वनव दत्त स०३०	रा०उ०प्र०वि० निकोना पाल्ली	घमोली	28/10/1977	27.447	रा०उ०मा०वि० कुरड़ण	अगस्तमुनि कालप्रयाग		
2	राजन्द्र प्रसाद संभवाल प्र०३०	रा०प्र०वि० वर्यारी	प्रतापगढ़	टिहरी	15/10/1986	28.373	रा०इ०का० आई०टी०पी०एल० ग्रामिका	लोईवाला देहरादून	

प०स० / सेवा०अराज०/३क(२)/ २२७-४७ / 2015-16 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु प्रेषित:-

- संचित, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी वैसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की बैठकसाइट 9 www.schooleducation.uk.gov.in पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध करायें।
- सम्बन्धित वारिष्ठ कोषधिकारी।
- वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नति अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार भली-भाली परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण करायि न करवाया जाय।
- (क)- अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।

(ख)– प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वेतनमान में वेतनमान (9300–34800, ग्रेड वेतन–4600) में कार्यरत हों।

(ग)– शासनादेश / नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन सम्बन्धी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
(घ)– पदोन्नत अध्यापक / अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण-पत्र अध्ययन एनोसीएडीई से माच्चता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे। विन्तु पदोन्नति की तिथि को तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

55 वर्ष अथवा अधिक आयु के अन्यथी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
14– सम्बन्धित अध्यापक / अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्भत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अधिक के भीतर सम्बन्धित अध्यापक / अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक / अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्यी के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षणिक व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।

15– कार्यालय आदेश पंजिका।

J. Hem
(रामकृष्ण उनियाल)
मण्डलीय अपर निवेशक (मांशी)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौडी
आदेश संख्या/सेवा०अराज०/३क(२)/ २८ / पदा०/२०१५-१६ दिनांक ०४ अप्रैल २०१५

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित रनातक श्रेणी) सेवा नियमाधीली-२०१४ के भाग-५ भर्ती प्रक्रिया के प्रत्यरूप-१६(१) में निहित प्रशिक्षितों के तहत राजकीय प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, राहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदर्श विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांगत सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित रनातक श्रेणी (वेतनक्रम ९३००-३४८००, घेंड वेतन ४६००) में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-०८ में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुप्रयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के कलश्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से १५ दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के कलश्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सामान्य शाखा

विषय- विज्ञान

क्र.सं.	अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y बैच की सेवाओं का गुणांक	पदस्थापित विद्यालय	विकास खण्ड	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्रीमती विनोदा चमोली स०३०	राज०उप्राय०वि० खर्की	नरेन्द्रनगर	टिहरी	२५/१०/१९८९	०	राज०उप्राय०वि० झावरकाल	नरेन्द्रनगर	टिहरी
2	श्रीमती रेखा विश्व प्र०अ०	राज०प्राय०वि० अटाउली (दोगी)	नरेन्द्रनगर	टिहरी	०९/०२/१९९३	२१.६९३	राज०उप्राय० नीर	नरेन्द्रनगर	टिहरी
3	श्रीमती आशा हिमशी स०३०	राज०उप्राय०वि० कोटी नदीला	अगरस्थमुनि	लूदप्रयाग	०६/०९/१९९३	५.८८१	राज०उप्राय० चुमाड़ी	चिंमुँ	पौडी
4	श्री शम्भु प्रसाद जोशी (स०३०)	राज०उप्राय०वि० सुन्दरियाणा	कोत्तिनगर	टिहरी	०६/०३/१९९५	१२.५९९	राज०उप्राय० चंहलदीरी	कोट	पौडी
5	श्री विनोद प्रकाश (प्र०३०)	राज०प्राय०वि० चापडा	झोल्कार	टिहरी	०६/०३/१९९५	७.००८	राज०उप्राय०वि० छान्नी	विन्धलीसोठ	उत्तरकाशी
6	श्री बद्री प्रसाद स्त्री स०३०	सौ०आराम्ब०स्त्री० हस्तकोटी	नारायणबगड़	चमोली	०७/०३/१९९५	३१.५०८	राज०उप्राय० नाजरीप्राय०	डोइयाला	देहरादून
7	श्री कुम्वर सिंह पुष्पानन स०३०	राज०उप्राय०वि० गढ़गृ	कुर्खीमठ	लूदप्रयाग	१०/०३/१९९५	१९.९७३	राज०उप्राय० मनसुना	उखीमठ	लूदप्रयाग
8	श्री कौति मणि रत्नौ स०३०	राज०उप्राय०वि० चमसारी	कुर्खा	उत्तरकाशी	१३/०३/१९९५	१३.७६२	राज०उप्राय०वि० याणगाँव	विन्धलीसोठ	उत्तरकाशी
9	श्री अनुज घन्द स०३०	राज०उप्राय०वि० हेलग	जोशीमठ	चमोली	१४/०३/१९९५	२४.९९२	राज०उप्राय०वि० हेलग	जोशीमठ	चमोली
10	श्री राजेन्द्र सिंह स०३०	राज०उप्राय०वि० क्रिश्ना	पोखरी	चमोली	२०/०३/१९९५	२०.४२५	राज०उप्राय० लंगरी	जोशीमठ	चमोली
11	श्री उमाकान्त सेमाल	राज०उप्राय०वि० भट्टाढीसेम	अगरस्थमुनि	लूदप्रयाग	२१/०३/१९९५	२.६२७	राज०उप्राय० लंगरीसेम	जोशीली	लूदप्रयाग
12	श्री महादीर्घ सिंह स०३०	राज०उप्राय०वि० घनियाल	धराली	चमोली	२१/०३/१९९५	२०.८९२	राज०उप्राय० धराली	धराली	चमोली
13	श्री सुलेश सयाना स०३०	राज०उप्राय०वि० कमोली	अगरस्थमुनि	लूदप्रयाग	२१/०३/१९९५	१५.४७४	राज०उप्राय०वि० लोडाला	नरेन्द्रनगर	टिहरी
14	श्री रमेशराम सिंह नेही स०३०	सौ०आराम्ब०स्त्री० केन्द्र भीमतला	दशोली	चमोली	२१/०३/१९९५	१९.१११	राज०उप्राय०वि० रामपुरकला	राहसपुर	देहरादून
15	श्री अजन सिंह स०३०	राज०उप्राय०वि० डिरकोटी	कर्णप्रयाग	चमोली	२२/०३/१९९५	४.९६८	राज०उप्राय० उडामापडा	पोखरी	चमोली
16	श्री गिरीश घन्द नयानी स०३०	सौ०आराम्ब०स्त्री० चोपता	नारायणबगड़	चमोली	२८/०३/१९९५	२२.४०७	राज०उप्राय० खदरीखड़कमाक	डोइयाला	देहरादून
17	श्रीमती रजनी सेमाल	राज०उप्राय०वि० सलियाणा	मेरसेण	चमोली	०१/०४/१९९५	०	राज०उप्राय० नराईसेम	मेरसेण	चमोली

18 ८० २५

18	श्री प्रेमचन्द चुन्दरियाल स०अ०	रा०प०मा०पि० शदणा	नेनोडाढा	पौडी	17/04/1995	17.629	रा०इ०का० खिरेरोखाल	नेनोडाढा	पौडी
19	श्री अग्नि ल कुमार नीटियाल स०अ०	रा०उ०मा०पि० खोलाचोरी	कोट	पौडी	17/04/1995	5.87	रा०इ०का० जामलाखाल	कोट	पौडी
20	श्री मनोज कुमार स०अ०	ब००आ०स०० विवाही	यमकश्वर	पौडी	17/04/1995	18.071	रा०इ०का० बल्ली	दुगद्दा	पौडी
21	श्रीमती शोभा भण्डारी स०अ०	स००आ०स०० नगर कोक पौडी	पौडी	पौडी	17/04/1995	6.499	रा०इ०का० उज्जाडी	पौडी	पौडी
22	श्री महेन्द्र प्रसाद द्विवेदी स०अ०	रा०उ०प्रा०पि० पुलिण्डा	दुगद्दा	पौडी	19/04/1995	24.682	रा०इ०का० कुम्भीचोड	दुगद्दा	पौडी
23	उमिला रावत स०अ०	रा०क०उ०प्रा०पि० बड़ैश	एकश्वर	पौडी	05/05/1995	7.352	रा०इ०का० दितली	यमकश्वर	पौडी
24	श्री हंसचन्द स०अ०	रा०उ०प्रा०पि० कोणडुखाल	खिरू	पौडी	19/05/1995	3.321	रा०उ०मा०पि० आरखोला	खिरू	पौडी
25	श्री प्रेम सिंह नर्सी स०अ०	रा०उ०प्रा०पि० आगर	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	31/08/1995	19.471	रा०उ०मा०पि० कमीवाला	सहस्रार	दहरादून
26	श्री प्रेम सिंह खाटी स०अ०	रा०उ०प्रा०पि० गुलाबकोटी	जोशीमठ	चमोली	31/08/1995	9.616	रा०उ०मा०पि० पाजीटिलानी	जालसी	दहरादून
27	श्री सुरेन्द्र मोहन स०अ०	रा०उ०प्रा०पि० दिवाहा	चमा	टिहरी	04/09/1995	24.364	रा०उ०प्रा०पि० देवताधार	चमा	टिहरी
28	श्री खेमराज उनियाल (स०अ०)	रा०उ०प्रा०पि० टिपशी	धौलिघार	टिहरी	06/09/1995	23.015	रा०इ०का० फिशनपुर	रायपुर	दहरादून
29	श्री प्रकाश चन्द्र स०अ०	रा०उ०प्रा०पि० देवतारी	देवतास	चमोली	06/09/1995	19.471	रा०इ०का० नेलसामारी	काण्डप्रयाग	चमोली
30	श्री इन्द्र सिंह सजदाण स०अ०	रा०उ०प्रा०पि० अरकोटी	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	06/09/1995	18.593	रा०इ०का० अगस्त्यमुनि	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग
31	श्री राकेश चन्द्र मेखुरी स०अ०	रा०उ०प्रा०पि० सलुड-डुधा	जोशीमठ	चमोली	07/09/1995	27.468	रा०उ०मा०पि० मेठाजा	दशोली	चमोली
32	श्री राकेश चन्द्र सिंह स०अ०	रा०उ०प्रा०पि० पिलाग	दशोली	चमोली	07/09/1995	1.071	रा०इ०का० नेलसामारी	पाँडवरी	चमोली
33	श्री दिवाकर प्रसाद स०अ०	रा०उ०प्रा०पि० लाली	दशोली	चमोली	07/09/1995	9.425	रा०इ०का० कोटी कलोनी	कालसी	दहरादून
34	श्री बदी प्रसाद पुरोहित स०अ०	रा०उ०प्रा०पि० कैलाशनगर चाका	जखोली	रुद्रप्रयाग	07/09/1995	11.667	रा०इ०का० घरकण्ठी	उख्तीमठ	रुद्रप्रयाग
35	श्री महेन्द्र सिंह बिष्ट स०अ०	रा०उ०प्रा०पि० कोटी (लस्था)	जखोली	रुद्रप्रयाग	08/09/1995	14.411	रा०इ०का० कण्डाली	जखोली	रुद्रप्रयाग
36	श्री मालवर सिंह स०अ०	रा०उ०प्रा०पि० मसोली	पौछरी	चमोली	08/09/1995	11.947	रा०इ०का० मयकोटी	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग
37	श्री दिमित्रजय सिंह स०ज्ञा०	रा०ज०हा० च्याढ कोपोरी	कण्डप्रयाग	चमोली	09/09/1995	20.326	रा०इ०का० सिमली	कण्डप्रयाग	चमोली
38	श्री हरीश चन्द्र नेशला सकुल सम०	स००आ०स०० कल्पाणा	गैरसेण	चमोली	11/09/1995	18.434	रा०उ०मा०पि० नेशला	कण्डप्रयाग	चमोली
39	श्री देवेन्द्र प्रसाद स०अ०	रा०उ०प्रा०पि० झिलोटी	पौछरी	चमोली	11/09/1995	11.125	रा०इ०का० सिदोली	कण्डप्रयाग	चमोली
40	श्री सतीश चन्द्र पन्त स०अ०	रा०उ०मा०पि० सोनला	कण्डप्रयाग	चमोली	12/09/1995	15.901	रा०इ०का० सिलगी	कण्डप्रयाग	चमोली
41	श्री भगवती प्रसाद नीटियाल स०अ०	रा०उ०प्रा०पि० घारकोट	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	12/09/1995	9.559	रा०उ०मा०पि० हडेतीखाल	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग
42	श्री प्रेमप्रकाश भट्ट स०अ०	रा०उ०प्रा०पि० खुरड	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग	12/09/1995	27.037	रा०उ०मा०पि० महरगांव	कीर्तिनगर	टिहरी
43	श्री पकज कुमार जोशी स०अ०	रा०उ०प्रा०पि० भेरनी	घाट	चमोली	12/09/1995	15.156	रा०इ०का० नगरासु	अगस्त्यमुनि	रुद्रप्रयाग

6 08/12 29/12

**कार्यालय:- मण्डलीय अपर निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी
आदेश संख्या / सेवा०अराज०/३क(२)/२८**

/पदो०/2015-16 दिनांक ०८ अप्रैल 2015

विज्ञप्ति/पदोन्नति

उत्तराखण्ड भौतिक शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 के भाग-५ गती प्रक्रिया के प्रत्यर्थ-१६(१) में निहित प्राविधिकों के तहत राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापक प्रारम्भिक विद्यालय सहायक अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक राजकीय आदेश विद्यालयों में समान वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (वेतनक्रम ९३००-३४८००, ग्रेड वेतन ४६००) में उनके विकल्प के आधार पर सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम में उनके नाम के सम्मुख स्तरम्-०८ में अंकित विद्यालय में पदोन्नति द्वारा गती अनुपयुक्तता को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जाती है। उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को आदेश निर्गत की तिथि से १५ दिन के अन्तर्गत अपने पदोन्नत विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। पदोन्नति के फलस्वरूप तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं की आगामी तीन वर्ष तक पदोन्नति नहीं की जायेगी। पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों की ज्येष्ठता ब्राद में नियमानुसार निर्धारित की

महिला शाखा

विषय- विज्ञान

क्र.सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम	विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद	प्रथम नियुक्ति तिथि	Y क्षेत्र की सेवाओं का गुणाक	पदस्थापित विद्यालय का नाम	विकास खण्ड	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्रीमती मंजू जुयाल स०३०	रा०उ०प्रा०वि० अगस्त्यमुनि भराडरीण	लालपाटा	16/०२/१९९३	२६.७२७	रा०क०उ०वा० श्रीनगर	रिसै	पौड़ी	
2	अग्नीता कोठारी स०३०	रा०पू०मा०वि० घामरीण	नेगोडाडा	पौड़ी	१३/०५/१९९५	२२.०४४	रा०क०उ०मा०वि० हरीबाटा	दोईवाला	देहरादून
3	श्रीमती दीपजली जुयाल स०३०	रा०उ०प्रा०वि० रिखाड़	कालसी	देहरादून	२५/०९/१९९५	१९.७८२	रा०क०उ०मा०वि० सहसपुर	सहसपुर	देहरादून

पृ०स०/सेवा०अराज०/३क(२)/ ४७८-९८ 2015-16 दिनांक उक्तव्यत

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-—

- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी वैसिक को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तान्तर कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाधार्य/प्रधानाधार्या को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अनिलखों का नियमानुसार भली-भांति परीक्षण/सत्यापन कर ले, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पर्दा पर कार्यभार ग्रहण करापि न करवाया जाय।

(क) — अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।

(ख) — प्रधम नियुक्ति (प्रशिकित वेतनमान) के उपरान्त 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तरगत न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान (9300—34800, घोड़ वेतन—4600) में कार्यस्थ हो।

(ग) — शासनादेश / नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संयोजन समृद्धी उपरबन्ध पूर्ण करता है।

(ग) - पदोन्नत अध्यापक / अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की विधि में राज्य सरकार द्वारा गठित संस्था के माध्यम से निर्धारित प्रमाण-पत्र अध्या एनएसी०टी०४० से मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय में प्रिसाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्चात के तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होगी जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त कर लें। किन्तु पदोन्नति की विधि को 55 वर्ष अध्या अधिक आयु के अन्यथी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।

14- सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ किये आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर अपने हीनासी के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित असधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति रद्द हो निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नति विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की समनुख पदोन्नति आदेश के साथ सलग्न समस्त शक्तिहीन व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करें।

15— कार्यालय आदेश पंजिका।

~~Learn English~~

— विष्णु विश्वामी (प्राप्ति)

प्राचीन अवधि का शब्द भी ही

70	श्री शोकेन सिंह (स०३०)	राज०उ०प्रा०वि० कोटियाडा	मिलगना	टिहरी	18/12/1996	20,823	राज०इ०का० रामगांव	जीनपुर	टिहरी
71	श्री अमिल प्रसाद (स०३०)	राज०उ०प्रा०वि० रत्नाली	कोतिनगर	टिहरी	19/12/1996	28,867	राज०उ०मा०वि० चौरीखाल	कोतिनगर	टिहरी
72	श्रीमती शान्ति गुसाई स०३०	राज०उ०प्रा०वि० बणचौरी	नारायणबगड़	बमोली	06/02/1997	12,816	राज०इ०का० कमसाल	अगस्तमृनि	स०दप्रयाग

2 Heen
(रामकृष्ण उनियाल)
मण्डलीय अपर निदेशक (स०३०)

गढ़वाल मण्डल, पीड़ी

पृ०स० / सेवा०अराज० / ३क(२) / ४५७-७७ / २०१५-१६ दिनांक उत्तरत

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— संचिद् विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2— महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4— निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5— निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6— अपर निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), गढ़वाल मण्डल, पीड़ी।
- 7— सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 8— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक।
- 9— सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी वैशिको को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर उपलब्ध है। अतः आप सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं के पदोन्नति आदेश सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारियों को हस्तांतर कराना सुनिश्चित करें और कार्यभार मुक्त/ग्रहण की सूचना उपलब्ध कराये।
- 10— सम्बन्धित विद्युत कोषाधिकारी।
- 11— वित्त अधिकारी विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
- 12— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/उपखण्ड शिक्षा अधिकारी।
- 13— सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाध्यार्थ/प्रधानाध्यार्थी को इस आशय के साथ कि पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों का निम्नानुसार नली-भाँति परीक्षण/सत्यापन कर लें, तभी सम्बन्धित को कार्यभार मुक्त/ग्रहण कराना सुनिश्चित करें, साथ ही मात्राकरण वाले रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण कराया जाय।
- (क)— अध्यापक स्नातक उपाधि प्राप्त हो।
- (ख)— प्रथम नियुक्ति (प्रशिक्षित वेतनमान) के उपरांत 30 जून 2014 की तिथि तक गढ़वाल मण्डलान्तर्गत न्यूनतम ०८ वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा वर्तमान में वेतनमान (९३००-३४८००, ग्रेड वेतन-४६००) में कार्यरत हो।
- (ग)— शासनादेश/नियमावली के अनुसार निर्धारित विषय संबंधी उपबन्ध पूर्ण करता हो।
- (घ)— पदोन्नत अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित स्नातक न होने की विधि में राज्य सरकार द्वारा गठित संसद्य के माध्यम से निर्धारित प्रमाण—पत्र अथवा एन०सी०टी०ई० से मान्यता प्राप्त संसद्य/विश्वविद्यालय में शिक्षाशास्त्र में उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। यदि उक्त प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा नियुक्ति वर्ष के पश्यात की तीन वर्षों में प्राप्त नहीं किया जाता है तो अगली वेतनवृद्धि तभी देय होती जब कि ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करेंगे। किन्तु पदोन्नति की तिथि को ५५ वर्ष अथवा अधिक आयु के अवधीनी के लिए ऐसा प्रमाण पत्र, उपाधि या डिप्लोमा प्राप्त करना आवश्यक नहीं होगा।
- 14— सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश निर्गत होने की तिथि से १५ दिन के भीतर अपनी तैनाती के रखान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति रद्द हो निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका अपने पदोन्नत विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका/प्रधानाध्यार्थ/प्रधानाध्यार्थी के सम्मुख पदोन्नति आदेश के साथ संलग्न समस्त शैक्षिक व प्रशिक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो प्रमाणित छायाप्रति सहित) प्रस्तुत करेंगे।
- 15— कार्यालय आदेश पंजिका।

2 Heen
(रामकृष्ण उनियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक (स०३०)

गढ़वाल मण्डल, पीड़ी

44	श्री शैलेन्द्र सिंह स०३०	रा०उ०प्रा०वि० गरवाली	कर्णीमठ	रुद्रप्रयाग	13/09/1995	3.266	रा०इ०का० माणिगुह	अगस्तमुनि	रुद्रप्रयाग
45	श्री नारायण सिंह नेगी स०३०	रा०उ०प्रा०वि० कारकाठे	गैरसेण	चमोली	14/09/1995	19.455	रा०इ०का० आगर घटटी	गैरसेण	चमोली
46	श्री दिव्यपाल सिंह स०३०	रा०उ०प्रा०वि० मटियाला	गैरसेण	चमोली	14/09/1995	24.258	रा०इ०का० पीपलकोटी	दशोली	चमोली
47	विजेन्द्र प्रसाद सकलानी (स०३०)	रा०उ०प्रा०वि० रन्नी	चौलधार	टिहरी	26/09/1995	19.405	रा०उ०प्रा०वि० रुद्रपुर	विकासनगर	देहरादून
48	श्री शैलेन्द्र कुमार उत्तियाल (स०३०)	रा०उ०प्रा०वि० सेल्लूर	चौलधार	टिहरी	14/10/1995	18.549	रा०इ०का० बगासूधार	चम्बा	टिहरी
49	श्री कलश प्रसाद द्वारकाल स०३०	रा०उ०प्रा०वि० कालमबन	जीनपुर	टिहरी	16/10/1995	16.138	रा०उ०मा०वि० भमारीखाल	चौलधार	टिहरी
50	श्रीमती नीलम सिंह बागडी स०३०	रा०उ०प्रा०वि० खान्दी	जाखांगीधार	टिहरी	18/10/1995	1.208	रा०इ०का० बेरगंगी पाली	चौलधार	टिहरी
51	श्रीमती सुमन भण्डारी (स०३०)	रा०उ०प्रा०वि० बड़ोला	जीतिनगर	टिहरी	08/11/1995	1.362	रा०उ०मा०वि० कपरोली	कीर्तिनगर	टिहरी
52	श्री विजेन्द्र कुमार सकलानी संकुप्रसाम०	सौ०आर०सौ० कण्डाली	जल्लोली	रुद्रप्रयाग	09/11/1995	21.686	रा०उ०मा०वि० डाङापुर	विकासनगर	देहरादून
53	श्री बलदीर सिंह कुवर स०३०	रा०उ०प्रा०वि० रण्डोली	गैरसेण	चमोली	10/11/1995	30.318	रा०इ०का० आदिकरी	गैरसेण	चमोली
54	श्री सतेन्द्र चन्द्र दीधरी संकुल सम०	सौ०आर०सौ० नेहलचोरी	गैरसेण	चमोली	10/11/1995	16.255	रा०इ०का० गैरसेण	गैरसेण	चमोली
55	श्री रामप्रसाद पुरोहित स०३०	रा०उ०प्रा०वि० सोरा मालकोटी	घोखरी	चमोली	15/11/1995	24.789	रा०उ०मा०वि० शेरगढ	झाइयाला	देहरादून
56	श्री सुशीर कुमार ढाँडियाल स०३०	रा०उ०प्रा०वि० हेफना	कर्णप्रयाग	चमोली	15/11/1995	18.092	रा०इ०का० कामड़े	घाट	चमोली
57	श्री कलम सिंह राणा स०३०	रा०उ०प्रा०वि० बासी (भरवार)	जल्लोली	रुद्रप्रयाग	20/11/1995	25.444	रा०उ०मा०वि० बयाकी	अगस्तमुनि	रुद्रप्रयाग
58	श्री देव सिंह रायत स०३०	रा०उ०प्रा०वि० हिमनी	देवाल	चमोली	20/11/1995	23.478	रा०उ०मा०वि० नलगाव	नारायणबगड़	चमोली
59	श्री भावरारनन्द सत्ती स०३०	रा०क०उ०प्रा०वि० चौपला	जाखोली	रुद्रप्रयाग	23/11/1995	20.877	रा०इ०का० रेस चोपला	नारायणबगड़	चमोली
60	श्री पूरन सिंह कर्स्वर्ण स०३०	रा०उ०प्रा०वि० वैटापी	नारायणबगड़	चमोली	01/12/1995	16.939	रा०उ०मा०वि० कुल्लाल	विकासनगर	देहरादून
61	श्री तीर्थ प्रसाद रत्नजयाल स०३०	रा०उ०प्रा०वि० सत्या	ऊर्ध्वीमठ	रुद्रप्रयाग	15/12/1995	19.342	रा०इ०का० गुजतकारी	उर्ध्वीमठ	रुद्रप्रयाग
62	श्री रवीन्द्र सिंह रायत स०३०	रा०प०मा०वि० बहुली	एकेश्वर	पीड़ी	27/12/1995	17.271	रा०इ०का० माटेयारी	दुगड़ा	पीड़ी
63	श्री पृथ्वीपाल सिंह नेगी स०३०	रा०उ०प्रा०वि० खाड़	जाखांगीधार	टिहरी	05/01/1996	3.501	रा०उ०मा०वि० जाखांगीरा	चम्बा	टिहरी
64	श्री योगेन्द्र दत्त पेटायाल (स०३०)	रा०उ०प्रा०वि० जारु नेतधामी	मिलगना	टिहरी	06/01/1996	19.134	रा०इ०का० भागच्छाल	चम्बा	टिहरी
65	श्री प्रमोद कुमार वडियाल स०३०	रा०उ०प्रा०वि० चपड़ीत	सिखांगीखाल	पीड़ी	08/01/1996	22.419	रा०उ०मा०वि० शारदनगंज	दुगड़ा	पीड़ी
66	श्रीमती कुमुम नेगी स०३०	रा०क०उ०प्रा०वि० भटोली	जीनपुर	टिहरी	11/01/1996	9.580	रा०इ०का० कम्बटी	जीनपुर	टिहरी
67	श्री हरीश बलूनी स०३०	रा०उ०प्रा०वि० बकोन	दुपड़ा	उत्तरकाशी	18/11/1996	2.766	रा०उ०मा०वि० उत्तरी	मटवाडी	उत्तरकाशी
68	श्री सतीष कुमार डामाल स०३०	रा०उ०प्रा०वि० मेनोल	दुपड़ा	उत्तरकाशी	19/11/1996	15.36	रा०उ०मा०वि० माकडा	दुपड़ा	उत्तरकाशी
69	श्री सज्जपाल सिंह विष्ट (स०३०)	रा०उ०प्रा०वि० जन्दोली	कीर्तिनगर	टिहरी	17/12/1996	26.174	रा०इ०का० कीर्तिनगर	कीर्तिनगर	टिहरी

h
24

24